www.shodhpith.com ISSN (Online): 3049-3331

Shodhpith
International Multidisciplinary
Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)
Volume: 1 Issue: 4 July-August 2025

भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीतिसार की उपादेयता

डॉ0 दिग्विजय नाथ चौबे

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश

सारांश

भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीतिसार एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रन्थ प्राचीन भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक और नैतिक मूल्यों की समृद्ध परंपरा को प्रतिबिंबित करता है। शुक्राचार्य द्वारा रचित यह ग्रंथ राज्य संचालन, राजधर्म, दंडनीति, राजस्व, सेना, न्याय व्यवस्था और नैतिक आचरण जैसे विविध विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। शुक्र नीतिसार की विशेषता इसकी व्यावहारिकता, नैतिकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण में निहित है। इसमें राजा को शक्तिशाली, न्यायप्रिय, विद्वान, प्रजावत्सल और दूरदर्शी होने की सीख दी गई है। इसमें प्रजा की रक्षा करना और उसके सुख–दुख का ध्यान रखना ही राज्य का धर्म माना गया है। समकालीन राजनीतिक संदर्भ में भी यह ग्रंथ प्रासंगिक है, क्योंकि यह लोकहित, उत्तरदायित्व और सुशासन जैसे आधुनिक मूल्यों पर बल देता है। शुक्र नीतिसार आज के नेताओं और प्रशासकों को नैतिक नेतृत्व और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देता है।

भारत की राजनीतिक चिंतन की परंपरा अतिशय समृद्ध रही है। यह परंपरा पश्चात राजनीतिक चिंतन की उदय काल से भी प्राचीन है। भारत में राजतंत्र एवं गणतंत्र शासन व्यवस्था प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्था से पूर्व विद्यमान हो गई थी। भारतीय मनीषियों ने नीति, नीयत, नियति, नियम तथा नैतिकता का उल्लेख भारतीय राज्यशास्त्र और शासनकाल पर प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों से पूर्व भारतीय ग्रन्थो में प्रस्तुत कर दिए थे। यद्दपि की भारतीय चिंतन परंपरा जिसकी उत्पत्ति वैदिक परंपरा से हुई थी, राजनीतिक अराजकता एवं दासता के प्रभाव में उस स्थान को प्राप्त नहीं किया, जो यूनानी चिंतन को मिला। फिर भी इसके उद्‌गम विकास और विस्तार का इतिहास वास्तविकता की ठोस धरती से आध्यात्मिक आदर्श के वायवीय कल्पना तक फैला हुआ है। भारतीय प्रतिभा इतिहास के पन्नों पर अपनी अंतर्मुखीवृत्ति, विकेंन्द्रित विभाजित संकीर्णता, नियतिवादिता, कर्मप्रधान समाज रचना, वर्णाश्रम व्यवस्था, शांतिमूलक अहिंसात्मक विकास, आत्म–केंद्रित किंतु पारलौकिक कल्पना, पुरुषार्थ पोषक धारण, धर्म प्रधान नीतिमत्ता, शांति समन्वित राजनीति, आदि के लिए विख्यात है।

कुंजी शब्द– नीति, वर्णाश्रम, राजधर्म, परराष्ट्र, शासन व्यवस्था

उद्देश्य इस शोधपत्र में शुक्रनीतिसार में वर्णित राजनीतिक तत्वों तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी उपदेयता को समझने का प्रयास किया गया है। भारतीय राजशास्त्र के प्रणेताओं की लंबी श्रृंखला है, जिसमें मनु, कौटिल्य शुक्र, कामंदक, याज्ञवल्क्य, विदुर का स्थान अतुलनीय हैं। आचार्य शुक्र को महाभारत एवं अमरकोष में वैदिक कालीन ऋषि माना गया है। शुक्र को विभिन्न उपनामों यथा–उसना, काव्य, भार्गव, योगाचार्य, देत्यगुरु, आदि से भी अभिहित किया गया। अथर्ववेद में सर्वप्रथम शुक्र नाम तथा ऋग्वेद, आयुर्वेद तथा सामवेद के अनेक मंत्र उसना ऋषि के नाम से संबोधित किए गए हैं।[1] फिर भी शुक्रनीतिसार में वर्णित समाज संरचना के आधार पर विद्वानों में मतैक्य का

अभाव है। यही कारण है कि कुछ विद्वान वैदिक रचना तथा कुछ ईशा के बाद की रचना मानते हैं। डॉ. ए. एस. अल्तेकर 9वी शताब्दी[2] तथा बी. के. सरकार 4थी शताब्दी की रचना मानते हैं। डॉ. बेनीप्रसाद अपनी कृति 'थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट इन एनसियन्ट इंडिया' मे कहा है कि "यह मूलत 13वीं और 14वीं शताब्दी से पूर्व की रचना नही है।[3]"

वस्तुत– शुक्र नीतिसार वैदिककाल का शुक्र द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ है, जिसका प्रतिपाद्य विषय राज धर्म और राजनीति शास्त्र है। यह मनुस्मृति ,चाणक्य का अर्थशास्त्र एवं याज्ञवल्क्य स्मृति के बाद एक ऐसी रचना है, जिसमें प्रशासनिक एवं राजनीतिक पक्षो पर क्रमबद्ध रूप में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की उपादेयता को आर्य समाज के समर्थक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी सिद्ध किया है। प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्यों में भी शुक्र तथा शुक्र नीतिसार के सार को प्रतिपादित किया गया है। डॉ. बेनीप्रसाद के मतानुसार 'शुक्र नीतिसार सामयिक व राजनीतिक परंपरा में लिखी गयी ऐसी रचना है, जिसमें शासन के सभी विषयों को समाहित किया गया है।[4] इसी प्रकार डॉ. पदभनाम शर्मा का मत है कि 'शुक्रनीति के राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं विषयक अध्ययन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रासंगिक है।[5] सत्यकेतु विद्यालंकार ने शुक्रनीति की उपादेयता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि "इस ग्रंथ में राजधर्म और दण्डनीति का जैसा उल्लेख हुआ है वैसा अन्यंत्र दुर्लभ है"।[6]

भारतीय चिंतन धारा के प्रेणताओं के मतानुसार 'शुक्रनीतिसार के उदारवादी दृष्टिकोण आधुनिक समाज के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। स्वयं आचार्य शुक्र ने इस नीतिसार की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है कि "जो राजा इस नीतिसार का दिन–रात अध्ययन चिंतन तथा मनन करेगा, वही राजभार को उठाने में समर्थ होगा।"[7] शुक्रनीति के समान दूसरी कोई नीति तीनों लोकों में नहीं है, व्यवहार में मनुष्यों के लिए शुक्रनीति नीति है, बाकी सब कुनीति है।

शुक्रनीतिसार की उपादेयता एवं महत्व

भारतीय राजनीतिक चिंतन परंपरा में शुक्र एवं शुक्रनीतिसार महान यूनानी विचारकों की परिपक्व विचारधारा के समकालीन है, तथा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा के चरम विकास को दर्शाता है। इसमें राज्य के विकास, स्वरूप, कार्यो, उद्देश्यों, शासकदृशासितों के पारस्परिक सम्बन्धो तथा दायित्वों, नीतिशास्त्र तथा धर्म के पारस्परिक सम्बन्धो, साध्यों तथा साधनों की एकात्मकता, अन्तर्राज्रीय सम्बन्धों के साथ–साथ आश्रम व्यवस्था तथा व्यवहार का विस्तृत दर्शन सर्वकालिक महत्व का है, जो इस ग्रंथ की उपादेयता को अनेक सन्दर्भो में परिलक्षित करता है।

राज्य के सावयव सिद्धांत की अवधारणा

शुक्र प्राचीन भारतीय चिंतकों मनु, भीष्म, कौटिल्य तथा यूनानी विचारक अरस्तू के समान राज्य के सावयवी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। शुक्रनीतिसार में राज्य के सात अंगों का उल्लेख किया गया है।

"स्वाम्यमातय्य सुहत्कोश राष्ट्र दुर्ग बलानि च।
सप्तांगमुच्यते राज्यं तत्र मूर्द्धा नृपः स्मृतः।।[8]

यह सात अंग–स्वामी, अमात्य, सुह्रद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और बल हैं, जिसकी तुलना शुक्र ने मानव शरीर से की है। परंतु शुक्र राज्य के इन समस्त अंगों को बराबर महत्व का नहीं मानते, वरन् स्वामी को मस्तक, अमात्य को नेत्र, सुह्रदको कर्ण, कोष को मुख, दुर्ग को हाथ और राष्ट्र को पैर तथा बल को मन की संज्ञा से विभूषित किया है। शुक्रनीतिसार में वर्णित श्लोक है–

दृगमात्यः सुह्रड्त्छोत्रं मुखं कोशो बलं मनः। हस्तौ पादौ राष्ट्रों राज्याङ्ग नि स्मृतानि हि।।[9]

इसी प्रकार शुक्र ने राज्य की तुलना वृक्ष से भी की है। उनका कथन है कि–

"राज्यवृक्षस्य नृपति मूलः स्कन्धाश्च मंत्रिणः।
शाखास्सेनाधिपारू सेना पल्लवारू कुसमानि च।
प्रजा फलानि भू–भागारू बीजं भूमिः प्रकल्पिता।।[10]

अर्थात राज रूपी पेड़ का मूल राजा है, स्कन्ध तना मंत्री है, सेनापति शाखाएं हैं, सैनिक पत्ते वह फूल हैं, प्रजा फल है तथा भूमि बीज हैं।

वस्तुतरू आचार्य शुक्र ने राज्य की प्रकृति का जो सांगोपांग वर्णन किया है, वह पश्चात् विचारक स्पेंसर की भांति विस्तृत नहीं है, फिर भी वह राज्य की प्रकृति के सावयव सिद्धांत से अवश्य परिचित थे। यही कारण है कि

वह राज्य के विभिन्न घटकों का सावयवी स्वरूप वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किये है।

उदार राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था

आचार्य शुक्र ने राजा के कार्य को अधिकार, शक्ति और दायित्व के सापेक्ष माना है। राजा के कार्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होते हैं तथा दोनों के एक दूसरे के पूरक भी। इसी प्रकार शुक्रनीतिसार में वर्ण व्यवस्था को भी मान्य किया गया है, परन्तु उसमें व्यक्ति के कर्म को आधार माना गया, जन्म को नहीं। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण की भांति वर्णाश्रम व्यवस्था का विस्तृत वर्णन शुक्रनीति में प्राप्त नहीं होता, फिर भी समाज के भौतिक आधार के रूप में महर्षि शुक्र ने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार किया है, जिसमें सामाजिक व्यवहार के विभिन्न नियमों का वर्णन है–

"शक्ता अपि लौकिकाचारं मानसापि न लङ्घयेत्"[11]।

इस प्रकार शुक्र ने चारों आश्रमों का वर्णन उनके कर्तव्यों के साथ किया है, जिसमें सभी जाति एवं वर्णाश्रम व्यवस्था के व्यक्तियों को अपने–अपने कर्तव्य पालन का निर्देश भी दिया है।[12]

"अर्थाद् धर्मश्च कामश्च मोक्षश्चापि भवेन्नृणाम्"।

आचार्य शुक्र ने जीविका निर्धारण के लिए कर्म सिद्धांत का आश्रय लिया है। जाति के संदर्भ में उन्होंने अत्याधिक रूढ़िंवादिता का परिचय नहीं दिया। वरन आचरण की श्रेष्ठता को ही जाति की श्रेष्ठता का कारण माना है। यह उनकी प्रगतिवादी विचारधारा का प्रमाण है। उनका मत है कि संसार में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र नहीं होता है, अपितु गुण और कर्म के भेद से होता है। गुण–कर्म के आधार पर वह सभी वर्णों का लक्षण बताएं हैं। विद्या एवं कला के द्वारा उनके नाम के अनुसार उनके जातियों की कल्पना की है।[14] यद्दपि की शुक्रनीतिसार में विभिन्न प्रकार की विद्दओं व कलाओं का ही वर्णन नहीं किया गया, अपितु मूर्तिकला, चित्रकला आदि का अनेक स्थानों पर विशद वर्णन हुआ है। उक्त कला के अध्ययन से उस समय की समाज व्यवस्था का झलक परिलक्षित होता है।

अंतर्राज्य सम्बन्धों में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक सिद्धान्तों विवेचन

प्रत्येक राष्ट्र के अपने कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिसके अंतर्गत वे अन्य देशों के साथ संबंध रखते हैं। प्राचीन भारत में भी अंतर्राज्य संबंधों की स्थापना की गई थी, जिससे भारत के विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध कुछ निश्चित और निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होते थे। प्राचीन व्यवस्था का मंण्डल सिद्धांत आधुनिक समय का शक्ति संतुलन है। मंण्डल सिद्धांत से आदिराज्य, मध्यम राज्य एवं उदासीन राज्य के पारस्परिक संबंधों का रूप निश्चित होता था। साम, दाम, दण्ड एवं भेद की नीति अपनाकर विजिगीषु राजा मंण्डल के सभी सदस्यों को अपने प्रभाव में कर लेता था, तथा षाड्गुण्य नीति से व्यवहार संचालित करता था। वस्तुतरू षाड्गुण्य नीति उस समय के कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यद्दपि कि भारत में कूटनीति संबंधों का स्वरूप अत्यंत दुःह था। उस समय समझौता, वार्ता अधिक होती थी, जिसके कारण कूटनीतिक प्रतिनिधियों एवं गुप्तचरों को अधिक महत्व दिया जाता था। कूटनीतिक अधिकारी अपने स्वामी के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य राजा के दरबार में नियुक्त किया जाता था। अर्वाचीन समय में भी राजदूतों की नियुक्ति की वहीं व्यवस्था है, तथा राजनीति का लक्ष्य पड़ोसी राज्यों के मध्य शक्ति– संतुलन स्थापित करना था, जो आज भी प्रासंगिक है।

वस्तुतः शुक्र द्वारा वर्णित अंतर्राज्य संबंधों की विवेचना से यह विदित होता है कि शुक्र ने अंतर्राज्य संबंधों की व्यवस्था एवं रूपरेखा अर्वाचीन अंतर्राष्टीय संबंधों की भांति क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु उन्होंने अंतर्राज्य संबंधों का निर्धारण में निहित मंण्डल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति, दूत व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था, सन्धि और शक्ति–संतुलन जैसे अनेक आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण किया है, जिसके आधार पर सम्पूर्ण राज्यों के पारस्परिक संबंध एवं व्यवहार निर्धारित होते हैं।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का मुख्य ध्येय रहा है। इस उद्देश्य हेतु नीतिशास्त्र को मुख्य प्रतिपाद्य विषय के रूप में स्थान दिया गया। शुक्र का मत था कि 'राजा को यत्नपूर्वक

नीतिशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए"। इस शास्त्र के ज्ञान से राजा नीति में प्रवीण होता है, और इसके बिना राजा अपने प्रमुख कर्तव्य प्रजा पालन एवं दुष्टों का नाश नहीं कर सकता है। अतः शुक्रनीतिसार में राज्य के स्वरूप एवं उसके तत्वों के साथ निरंकुश एवं आतातायी राजा के प्रति प्रजा के दृष्टिकोण की व्याख्या भी स्पष्ट रूप से की गयी है।

न्याय ब्यवस्था

राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय व्यवस्था आवश्यक है। निष्पक्ष न्याय नागरिकों में रा. जभक्ति एवं विश्वास उत्पन्न करते हैं, तथा उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। निष्पक्ष न्याय करना तथा दुष्टों का दमन करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है।[17] आचार्य शुक्र ने राजा को न्याय का प्रमुख स्रोत माना एवं राजा की आठ कर्तव्यों में दुष्ट निग्रह करना प्रथम कर्तव्य बतलाया है।[18] यद्दपि कि प्राचीन भारत की न्यायिक प्रक्रिया में वकीलों का उल्लेख प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, परन्तु आचार्य शुक्र ने अभिभाषक हेतु नियोगी शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतरू नियोगियों का कार्य वर्तमान अभिभाषक के समरूप था। न्याय प्रशासन की निष्पक्षता की हेतु अनेक नियम संचालित थे। न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा वादी– प्रतिवादि से उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कोई प्रश्न नहीं होता था। निर्णय प्रायरू न्यायाधीशों के बहुमत से होते थे।

इस प्रकार प्राचीन भारत में शुक्र द्वारा प्रतिपादित न्याय व्यवस्था के अध्ययन से यह विदित होता है कि राज्य संप्रभु नहीं था, फिर भी विधि की सर्वोच्चता मानी गई है। विधि के द्वारा ही शासन संचालित होता था। राजा अपनी शक्ति विधि से ही प्राप्त करता था, अतएव विधि और सत्य समनार्थी थे, और दोनों का मूल मानव समाज था। विद्वानों का मत है कि शुक्र का यह न्याय–व्यवस्था इतना स्पष्ट और उदारवादी था कि वह पुरातन से नूतन तक विद्यमान एवं उपयोगी है।

राष्ट्र एवं राज्य के मध्य भेद

शुक्र ने राज्य और राष्ट्र में विभेद किया है। उनका कथन है किराज्य के सात अंग है–स्वामी, अमात्य, सुह्रद, कोष, राष्ट्र, दूर्ग, बल।

स्वाम्यमात्य सुहृत्कोश राष्ट्र दुर्गबलानि च। सप्तागंङ्मुच्येत राञ्यं तन्त्रं मूर्द्धा तपरू स्मृतः।।[19]

इस प्रकार आचार्य शुक्र ने अपने सप्तांग सिद्धांत में राज्य के संगठनात्मक तत्वो की विवेचना की है, और उक्त संगठनात्मक तत्वों में एक तत्व राष्ट्र को श्राष्ट्र राज्य के लिए आवश्यक माना है। वह कहते है कि इसके अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। राष्ट्र की उपमा पैर से करते हुए उन्होंने कहा है कि षजिस प्रकार सम्पूर्ण मानव शरीर का भार वहन पैर करता है, उसी प्रकार राष्ट्र भी राज्य और राजा का आधार होता है। यही सम्पूर्ण प्रजा को धारण करता है।' वस्तुतः राष्ट्र जनपद का अभिप्राय है, जिसमें जनसंख्या और क्षेत्रफल समाहित है। वर्तमान समय में राज्य के प्रमुख तत्वों में इस तत्व का प्रमुख स्थान है।

प्रशासनिक ब्यवस्था

प्राचीन भारत में स्वशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होते थे। ये अपना प्रशासन पंचायतों के माध्यम से संचालित करते थे। अपनी स्थानीय समस्याओं को सुलझाने एवं ग्राम व्यवस्था करने का उन्हें पूरा अधिकार था।20 आचार्य शुक्र ने अपने ग्रंथ नीतिसार में यह वर्णन किया है कि श्पूरे गांव की एक गांव सभा होती थी, जिसमें सभी घर–परिवार के सदस्य होते थे। छोटी सभा ग्राम पंचायत तथा स्थानीय शासन के लिए कई उप समितियां भी होती थी। मंदिरों का प्रबंध और भूमि की सीमा का निर्धारण का अधिकार गांव पंचायतो को ही था। गांव में अपराधों का पता लगाने तथा दण्ड की व्यवस्था करने का दायित्व गांव सभा पर ही था। शुक्र ने सहस्त्राधिपति नामक अधिक. ारी को दण्ड विधायक बताया है। दण्डविधायक को कोमल दण्ड देने वाला तथा अत्यंत कोमल ह्दय वाला नहीं होना चाहिए।[21] गांव में कर वसूल करने वाले तथा प्रतिहार आदि कर्मचारी की भी नियुक्ति होती थी। शुक्र ने अपने नीतिसार में इसका वर्णन किया है–

प्रज्ञा नष्टा न हि भवेन्तथा दण्डविधायकः। नीतिक्रूरों नातिमृदुः सहसाधिपतिश्च सः।।[22]

वस्तुतः विस्तृत साम्राज्य होते हुए भी गांव शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम छोटे–छोटे गणतंत्रों की भॉति स्वशासित

था। शुक्र के अनुसार श्राज्य सत्ता विकेंद्रित थी, लेकिन स्वशासन की इकाइयां अलग–अलग बिखरी हुई नहीं थी। केंद्र से गांव तक का शासन एक सूत्र में पिरोया था। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्व है। शुक्र के विचारों का प्रभाव आधुनिक भारत के प्रशासन पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। भारतीय राज्य प्रणेताओं ने राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के सभी सिद्धांतों में योग्यता एवं जन सहमति को विशेष महत्व प्रदान करके आदर्श प्रशासन की प्रस्थापना की है। प्राचीन भारतीय प्रशासन सभी व्यक्तियों को समान नियुक्ति का अधिकार प्रदान करके व्यक्तियों को राजकीय पद प्राप्त करने हेतु योग्यता प्रमाणित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें राज्य का कल्याण निहित है।[23]

शुक्रनीतिसार की उपर्युक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत की सामाजिक संश्लिष्टता और उससे सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था जिन दुरुह प्रश्नों का सामना कर रही है, उसके निवारण के लिए वह अपनी उन्नत एवं विशाल समृद्ध ज्ञान परंपरा से बहुत कुछ प्राप्त कर सकती है। यह मानव के व्यवहार को जानने, समझने उसकी आकांक्षाओं, कामनाओं, लालसाओं और आशाओं को मर्यादाओं में आबद्ध कर सम्यक दिशा प्रदान कर सकती है। इसके साथ पारस्परिक विवाद, संघर्ष में कमी लाकर राजनीतिक और प्रशासनिक सं. रचनाओं को अधिक संवेदनशील बना सकती है। तथा नेतृत्व को भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिक संवेदनशील बनाने के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं का निराकरण विधिक के स्थान पर सांस्कृतिक माध्यम से करने में यह नीतिसार उपयोगी होगा।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीतिसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य संचालन, कूटनीति, न्याय व्यवस्था, सैन्य संगठन, कर व्यवस्था एवं राजा के कर्तव्यों का व्यावहारिक दृष्टिकोण से वर्णन किया गया है। शुक्राचार्य द्वारा प्रतिपादित नीतियाँ यथार्थवाद पर आधारित हैं, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मेल खाती हैं, परंतु उसमें नैतिकता का अनुपात अधिक है। आधुनिक समय में सुशासन, राजनीतिक नैतिकता और सतत विकास जैसे सिद्धांतों की व्याख्या में शुक्र नीतिसार के सिद्धांत प्रासंगिक बने हुए हैं। यह ग्रंथ यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीतिक विचार परंपरा केवल धार्मिक या आदर्शवादी नहीं, बल्कि व्यवहारिक, तर्कसंगत और सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी।

वस्तुतः प्राचीन भारतीय चिंतन से समकालीन संस्थाओं के स्वरूपों का निर्धारण किया जा सकता है, जो समयानुकूल एवं युगानुकूल होगी। वह विकृतियों को त्यागने और उपादेय का अवलम्बन करने में सक्षम होगी। अतः प्रत्येक समाज अपने गौरवशाली अतीत से श्रेष्ठ तत्वों का संरक्षण कर, उन्हें युगीन आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर और विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध भारतीय चिंतन में से उपयोगी तत्वों को समावेश कर समाज एवं राष्ट्र को सुखमय बनाने का प्रयत्न करे, तो आचार्य शुक्र के नीतिसार की प्रशासनिक एवं राजनी. तिक क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता होगी। शुक्र नीतिसार न केवल प्राचीन राजनीतिक चिंतन की धरोहर है, अपितु यह आज भी नीति, शासन और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ

1. शर्मा बी.एम. भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ–146.

2. ए. एस. अल्तेकर, पृष्ठ– 10.
3. वर्मा वी.एस. प्राचीन व मध्यकालीन दर्शन, पृष्ठ– 12,16.
4. बेनीप्रसाद 'द स्टेट इन एशिएन्ट इंडिया' पृष्ठ– 486
5. शर्मा, पद्मनाम, शुक्रनीति में वर्णित राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पृष्ठ– 19.
6. विद्दालंकार सत्यकेतु, प्राचीन भारतीय शासन और राजशास्त्र, पृष्ठ– 30.
7. शुक्रनीति अध्याय– 4, श्लोक–12,43.
8. शुक्रनीति अध्याय– 1, श्लोक–61.
9. शुक्रनीति अध्याय– 1, श्लोक–62.
10. शुक्रनीति अध्याय– 5, श्लोक–12 ,13.
11. शुक्रनीति अध्याय– 3, श्लोक–34.
12. शुक्रनीति अध्याय– 4, श्लोक–1284.
13. कमंदकनीति पृष्ठ– 10/35.
14. शुक्रनीति अध्याय– 4, श्लोक– 3 व 11,12.
15. स्वामी जे. एस. शुक्रनीतिसार, रामलाल कपूर ट्रस्ट, दिल्ली. 2012.
16. प्रधान, आर. सी.(1994),द नेशन ऑफ किंशिप इन द शुक्रनीति, द मॉडर्न रिवियू, वॉल्यूम, 1–6, 156–157.
17. शुक्रनीति अध्याय– 1, श्लोक– 385–386.
18. शुक्रनीति अध्याय– 1, श्लोक– 14 नारद प्रकीर्ण, पृष्ठ– 23.
19. शुक्रनीति अध्याय– 1, श्लोक– 61.
20. ए.एस. अल्तेकर, द स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंसियेंट इंडिया, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2016, पृष्ठ– 223.
21. त्रिपाठी हरिहर नाथ, प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका, मोतिलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1993, पृष्ठ–38.
22. शुक्रनीति अध्याय– 2, श्लोक–171.
23. शुक्रनीति अध्याय–2, श्लोक– 21–23.

Cite this Article-

'डॉ0 दिग्विजय नाथ चौबे', 'गभारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र नीतिसार की उपादेयता', Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume: 1, Issue: 04, July-August 2025.

Journal URL- https://www.shodhpith.com/index.html
Published Date- 14 July 2025
DOI-10.64127/Shodhpith.2025v1i40014